उद्योगों से मज़बूत होती आत्मनिर्भर गाँव की संकल्पना

-शिशिर सिन्हा

गाँव आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ज़रूरी है वहां उद्योग व उद्यमिता का लगातार विकास होते रहना। इसके लिए जहां सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र भी आगे आया है और ग्रामीणों की सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थिति अगर देश की दो-तिहाई से ज़्यादा आबादी की होगी, तभी 'आत्मनिर्भर गाँव' और 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प पूरा हो सकता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 वर्षों (2014-15 से 2022-23) के बीच कृषि (वानिकी व मत्स्य पालन सहित) की औसत विकास दर 3.7 फीसदी रही है। गौर करने की बात यह है कि कोविड वर्ष (2020-21) में, जहां सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि से कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले सेवा और उद्योग की विकास दर नकारात्मक हो चली थी, वहीं कृषि की विकास दर सकारात्मक रही और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले ने पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरी का रास्ता भी खोला है, क्योंकि गाँव न केवल मांग में अहम हिस्सेदारी रखते हैं, बल्कि आपूर्ति का भी बड़ा ज़रिया बनते हैं, और यहीं से 'आत्मनिर्भरता' का रास्ता खुलता है।

निसंदेह गाँवों के 'आत्मनिर्भर' होने के लिए केवल कृषि ही नहीं बल्कि उद्योगों का भी सतत विकास ज़रूरी है। कहना गलत न होगा कि कृषि और उद्योग एक-दूसरे के विकास के लिए आधार तैयार करते हैं। साथ ही, यहां यह भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि उद्योग या उद्यमिता केवल शहरी इलाके में ही नहीं पनपते, बल्कि ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं।

गाँवों की मांग

2021 के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक समीक्षा (2022-23) के अनुसार देश की कुल आबादी का 65 फीसदी गाँवों में रहता है जबकि 47 फीसदी आबादी के लिए आजीविका का साधन खेतीबाड़ी है। अलग-अलग रिपोर्ट से यह भी जानकारी मिलती है कि देश की कुल श्रमशक्ति का करीब आधा गाँवों में है। ज़ाहिर है

लेखक आर्थिक पत्रकार हैं। ई-मेल : hblshishir@gmail.com

"... हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास की कुंजी है।"

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कि जब बाज़ार की बात आएगी और मांग व आपूर्ति का विश्लेषण होगा तो वो गाँवों के बिना अधूरा रहेगा। खास बात यह है कि अब गाँव के बाज़ार में मांग व आपूर्ति की बात सिर्फ ज़रूरत तक सीमित नहीं, बल्कि इच्छाओं के भी अहम आधार हैं। चार पहिया गाड़ियां बनाने वाली अलग-अलग कंपनियां कहती हैं कि उनकी कुल बिक्री में गाँवों की हिस्सेदारी 19 से लेकर 40 फीसदी तक है, वहीं एफएमसीजी* उद्योग का आंकलन है कि 2020 में ग्रामीण इलाकों में उनका बाज़ार करीब 110 बिलियन डॉलर (करीब 7.15 लाख करोड़ रुपये) का था जो 2025 में करीब 220 बिलियन डॉलर (करीब 18 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँच सकता है।

बाज़ार और मांग बढ़ने की एक वजह ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या है। जानी-मानी शोध संस्था यूरोमॉनिटर का कहना है कि भले ही शहरीकरण बढ़ रहा हो और महानगरों व गैर-महानगरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन 2040 तक आधे के करीब भारतीय परिवार ग्रामीण इलाकों में स्थित होंगे, जबकि दुनिया में यह औसत एक तिहाई होगा। एजेंसी यह भी कह रही है कि ग्रामीण उपभोक्ता आमतौर पर छोटे पैकेट वाले सामान खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर उनका खासा ज़ोर होता है। ज़िक्र करना ज़रूरी होगा कि पैकेट छोटा भले ही हो, लेकिन संख्या ज़्यादा होगी जिससे कंपनियों को फायदा होगा।

आमदनी में बढ़ोत्तरी मांग बढ़ाने में सहायक होगी। बीते कुछ सालों से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने की कोशिश हुई है, जिसके नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, पारम्परिक खेतीबाड़ी के साथ कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से भी आमदनी बढ़ी है जिसका सकारात्मक असर मांग पर देखने को मिल रहा है।

*FMCG-Fast Moving Consumer Goods

गाँवों से आपूर्ति

खेतीबाड़ी के साथ कृषि की सहायक गतिविधियां जैसे बागवानी, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से अलग-अलग उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति तो हो ही रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अलग-अलग आकार के उद्योग भी पूरी आपूर्ति व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसे समझने के लिए तीन अलग-अलग स्रोतों से दी गई जानकारी पर नज़र डालनी होगी:

- **उद्योगों का सालाना सर्वेक्षण (2019-20)** : सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी होने वाली रिपोर्ट बताती है कि देश के कुल 2.46 लाख से ज़्यादा कारखानों में 1.03 लाख यानी करीब 41 फीसदी ग्रामीण इलाकों में स्थित है जिनमें कामगारों की संख्या 57.78 लाख से ज़्यादा है, वहीं कुल मिला कर करीब 73 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कारखानों से जुड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक इकाइयों ने 5.86 लाख करोड़ रुपये का मूल्यवर्धन किया।
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 633 लाख से कुछ ज़्यादा औद्योगिक इकाइयां (51 फीसदी) ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इनमें अकेले सूक्ष्म उद्योगों की हिस्सेदारी 324 लाख की है।

रोज़गार की बात करें तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग जहां 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं, उनमें से करीब पांच करोड़ ग्रामीण इलाकों में हैं। श्रम बल और औद्योगिक इकाइयों की यह संख्या देश के सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में करीब 30 फीसदी और निर्यात में 45 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं। आनुपातिक आधार पर कुल जीवीए में 15 फीसदी की हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों में स्थित एमएसएमई के ज़रिए हो रही है जबकि कुल निर्यात में हिस्सेदारी करीब 23 फीसदी है।

- **खादी ग्रामोद्योग** : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कपड़े समेत विभिन्न तरह के उत्पादों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति कर रहा है। वर्ष 2013-14 में खादी का उत्पादन 811 करोड़ रुपये का था जो 2022-23 में 2916 करोड़ रुपये पर पहुँचा, यानी तीन गुना से भी ज्यादा की बढ़ोत्तरी। खादी समेत विभिन्न उत्पादों की बिक्री से केवीआईसी का 2022-23 में कुल कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपये का था जो देश की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों से भी ज्यादा हो गया है।

मुमकिन है कि तीनों स्रोतों में कुछ आंकड़ों का दोहराव हुआ हो, फिर भी आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बड़े से लेकर छोटे और यहां तक कि सूक्ष्म इकाइयों की भी बड़ी हिस्सेदारी है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी ही देखने को मिल रही है।

आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर दबाव में कमी ज़रूरी

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगते हैं तो वहां आमतौर पर श्रमबल की बड़ी संख्या शहरों से आकर रहती है। साथ ही, उनमें स्थानीय उद्यमिता देखने को नहीं मिलती। ऐसे में यह सवाल उठना लाज़िमी है कि ग्रामीणों की उद्यमिता और रोज़गार के लिए क्या किया जा रहा है या फिर और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है, उससे ग्रामीणों के लिए आजीविका के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है– खादी ग्रामोद्योग के ज़रिए ग्रामीण उद्यमिता और रोज़गार एवं ग्रामीण रोज़गार व कौशल विकास की योजनाएं।

खादी ग्रामोद्योग के ज़रिए ग्रामीण उद्यमिता व रोज़गार

ग्रामीण विकास व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग के तहत पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने, विकसित करने और मज़बूत करने के लिए केवीआईसी ने खास पहल की है। मसलन शहद और मधुमक्खी पालन, ताड़ के गुड़, मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित कागज़ और चमड़ा उद्योग, ग्रामीण इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने, आय बढ़ाने और आजीविका के अवसरों में सुधार करने के लिए केवीआईसी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान करने के साथ-साथ सिलाई प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। पिछले नौ वर्षों के दौरान देश भर में 7.43 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और कारीगरों को ज़रूरत आधारित टूल किट उपलब्ध कराए गए हैं।

दूसरी ओर, खादी की बढ़ती मांग के मद्देनजर बीते 9 वर्षों में इस क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता मिल रही है। साथ ही, चरखा और करघा भी दिए गए हैं, ताकि बुनियादी सुविधाएं विकसित हों। दूसरी ओर, डिजिटलीकरण,

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या (30 जून 2023 तक की स्थिति)

आंध्र प्रदेश	105955
अरुणाचल प्रदेश	1000
असम	70743
बिहार	74158
छत्तीसगढ़	55636
गुजरात	24071
हरियाणा	40946
हिमाचल प्रदेश	10471
जम्मू और कश्मीर	68491
झारखंड	62741
कर्नाटक	51349
केरल	69122
मध्य प्रदेश	76683
महाराष्ट्र	51087
मणिपुर	5500
मेघालय	5414
मिज़ोरम	1246
नगालैंड	5585
ओडिशा	210854
पंजाब	31067
राजस्थान	68629
सिक्किम	2115
तमिलनाडु	62414
तेलंगाना	61641
त्रिपुरा	10147
उत्तर प्रदेश	190262
उत्तराखंड	16763
पश्चिम बंगाल	36850
पुडुचेरी	1044
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	298
कुल	1472282

स्रोत : kauhslapragati.nic,in, Kaushalbharat.gov.in

अनुसंधान व विकास गतिविधियों के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी और डिज़ाइनों का लाभ पहुँचाने की कोशिश है। इन तमाम प्रयासों का मकसद उद्यमियों को बाज़ार के बदलते चलन के हिसाब से तैयार करना है।

दूसरी ओर, अगर रोज़गार की बात करें तो केवीआईसी ने विभिन्न योजनाओं के ज़रिए 2013-14 के 5.6 लाख नए रोज़गार अवसरों की तुलना में 2022-23 में कुल 9.5 लाख रोज़गार के अवसर सृजित किए। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 80 प्रतिशत से अधिक इकाईयां ग्रामीण इलाकों में स्थापित की जाती हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा की कमान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के हाथं है। इससे देश में महिला सशक्तीकरण और महिला उद्यमियों को बल मिला है। पीएमईजीपी के तहत, 2022-23 के दौरान 8.69 लाख नई परियोजनाओं की शुरुआत करके कुल 73.67 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिसमें 2008-09 से 2022-23 तक 21870.18 करोड़ रुपये की कुल मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है। इसके अलावा, केवीआईसी अपने प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य संवर्धनात्मक स्कीमों के माध्यम से बेरोज़गार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी) और उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करता है ताकि पारंपरिक उद्योगों में स्वरोज़गार के अवसर तैयार किए जा सकें।

उद्यमिता और रोज़गार दोनों बढ़े, इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि बाज़ार और उपभोक्ताओं तक सामान आसानी से पहुंचे। यहां ये भी अहम हो जाता है कि किस तरह से उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार के हिसाब से व्यवस्था तैयार की जाए। चूंकि आज ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन बाज़ार का भी चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान मे रखते हुए 2021 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म eKhadiIndia.com की शुरुआत की गई जहां 50,000 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा, कई दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए भी खादी ग्रामोद्योग के सामान ग्राहकों के घर तक पहुँचाने का इंतज़ाम है।

ग्रामीण रोज़गार व कौशल विकास की दो प्रमुख योजनाएं

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) : यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं की रोज़गार की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसे 25 सितंबर, 2014 को लॉन्च किया गया था और अभी यह 27 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 877 से अधिक पीआईए (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां) 2,369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लगभग 616 रोज़गार भूमिकाओं में ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। कुल 14.08 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और कार्यक्रम के तहत स्थापना के बाद से 8.39 लाख उम्मीदवारों को रखा गया है।

कुछ समय पहले ही ग्रामीण गरीब युवाओं को कुशल बनाने और रोज़गार मुहैया कराने के मकसद से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 नियोक्ताओं के साथ 'कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट' के तहत सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनकी अपनी या अपनी सहायक कंपनियों में रखने का रास्ता खुलेगा।

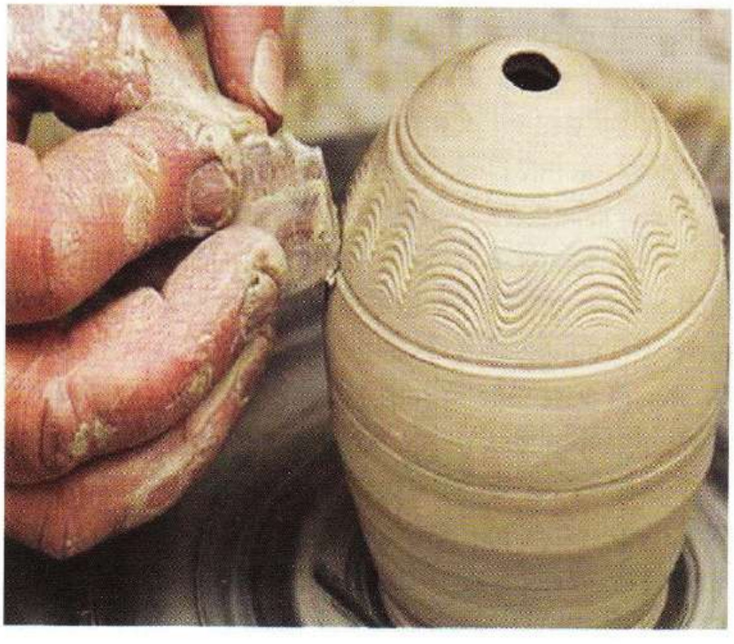

'कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट' अपनी तरह की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक गतिशील और मांग-आधारित स्किल इकोसिस्टम तैयार करना है। यह पहल डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जो न्यूनतम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ कम से कम छह महीने के लिए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट का आश्वासन देती है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों के लिए उनकी नौकरी की ज़रूरतों और उनके जीवन-स्तर में सुधार के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों में भी योगदान देगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, बदलते समय और ग्रामीण युवाओं की बदलती आकांक्षा के साथ कार्यक्रम अपने दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं में परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 दिशानिर्देश मंत्रालय में अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं। कार्यक्रम के इस नए संस्करण का उद्देश्य स्किल इकोसिस्टम में सुधार करने और इसे अधिक रोज़गार उन्मुख बनाना है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : इस योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में 13 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर गुरु-शिष्य परंपरा या हाथों व औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों-शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मज़बूत करने का लक्ष्य है, जिससे ये पेशे लाभकारी हो सकें। योजना में 18 पारंपरिक क्षेत्र- बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने, पत्थर तोड़ने वाला), मोची, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/ जूट बुनकर, गुड़िया-खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

उपरोक्त तमाम प्रयासों की बदौलत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुचक्र विकसित होता है। सुचक्र यानी गाँव में जब उद्यमिता विकसित होती है या फिर युवाओं में कौशल्य विकसित होता है तो रोज़गार के नए मौके बनते हैं। नए मौकों के बदौलत आमदनी, आमदनी बढ़ने से मांग और मांग बढ़ने से आपूर्ति बढ़ती है। आपूर्ति बढ़ेगी तो उद्यम का भी विस्तार होगा और परिणामस्वरूप रोज़गार भी बढ़ेगा। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में आजीविका के लिए केवल खेतीबाड़ी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। यही सही अर्थों में 'आत्मनिर्भरता' है।

एक बात और। गाँव आगे बढ़ता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वहां उद्योग व उद्यमिता का लगातार विकास होते रहना। इसके लिए जहां सरकारी योजनाएं काम कर रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र भी आगे आया है और ग्रामीणों की सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थिति अगर देश की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी की होगी, तभी 'आत्मनिर्भर गाँव' और 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प पूरा हो सकता है। ❑